संख्या-1481/2026/765/22-2-2026-17(396)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2026*

विषय:- जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती रूबी पत्नी श्री रामसिंह, निवासी जनपद-उन्नाव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती रूबी पत्नी श्री रामसिंह, ग्राम-भदेशा (सुदेशा बहादुरपुर), थाना-माखी, जनपद-उन्नाव का निवासिनी है। दिनांक 17.10.2013 को रामसिंह पत्नी को विदा कराने ससुराल गया था, पत्नी के साथ आपसी विवाद होने के कारण 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कर अपने पति रामसिंह की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 311/2015 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०-01, उन्नाव दण्डादेश दिनांक 03.08.2024 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 01 माह तथा सपरिहार 01 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.08.2025 तक महिला बन्दी की आयु 26 वर्ष एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनाक 31.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष 01 माह 00 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, महिला बन्दी की स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती रूबी (बन्दी संख्या-285/2024) पत्नी श्री रामसिंह, निवासी जनपद-उन्नाव की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

कमलेश कुमार
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1481/2026/765(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

2- अधीक्षक, जिला कारागार उन्नाव।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।